

दिनांक

आज्ञा पत्र

२७.५.२०११

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसपो.उपरिस्थित पीठाधीन अधिकारी महोदय ३६/१५/११ को पेश है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक ११.७.११ को पेश हो।

११.७.२०११

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसपो.उपरिस्थित पीठाधीन अधिकारी महोदय आज ६.५.११ को पेश है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक २९.९.११ को पेश हो।

२९.९.२०११

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेसपोडेंट की तामील शेष है इस हेतु अपीलाट शेष रेसपोडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रतः निस्तारण किया जा सके पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक २८.११.११ को पेश हों।

[Handwritten Signature]

२८.११.११

पत्रावली पेश। वकील अपीलाट को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेसपोडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश ९ नियम ५ सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक ३०.१.१२ को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

[Handwritten Signature]

३०.१.१२

पत्रावली पेश वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेसपोडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश ९ नियम ५ सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलाट में रेसपोडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलाट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश ९ नियम ५ सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय ऐ इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तलबी तकमील दाखिल टफतर हो।



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सज्जद अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प इन्डियन)